न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 26 / 2016 **दायर दिनांकः 04.02.2016**

उनवान

1. बलराम उम्र 70 वर्ष पुत्र रंगलाल जाति गुर्जर निवासी बपावर तहसील सांगोद जिला कोटा राज0।
2. धन्नालाल उम्र 38 वर्ष पुत्र जगन्नाथ जाति गुर्जर
3. हेमराज उम्र 34 वर्ष पुत्र जगन्नाथ जाति गुर्जर
4. कैलाश बाई उम्र 42 वर्ष पुत्री जगन्नाथ पत्नि भंवरलाल जाति गुर्जर
5. कैला बाई उम्र 31 वर्ष पुत्री जगन्नाथ पतिन रामकरण जाति गुर्जर निवासीगण कदीली तहसील किशनगंज जिला बारां राज0।
6. गुड्डी बाई उम्र 27 वर्ष पुत्री जगन्नाि पत्नि भोलाराम जाति गुर्जर निवासी श्यामपुरा तहसील बारां जिला बारां (राज0)।

वादीगण

बनाम

1. राजबाई उम्र 40 वर्ष पत्नि लक्ष्मीचन्द जाति मीणा निवासी बाणगंगा
2. सन्तोष बाई उम्र 35 वर्ष पत्नि महेन्द्र सिंह जाति मीणा निवासी बाणगंगा तहसील अटरू जिला बारां राज0
3. मांगी बाई उम्र 45 वर्ष पत्नि बाबूलाल जाति माली निवासी बानपुर
4. हेमा बाई उम्र 35 वर्ष पत्नि रामकरण जाति माली निवासी बानपुर तहसील अटरू जिला बारां राज0
5. पप्पू उम्र 30 वर्ष पुत्र हरिकिशन जाति गुर्जर निवासी खानपुर
6. महेन्द्र उम्र 26 वर्ष पुत्र हरिकिशन जाति गुर्जर निवासी खानपुर
7. कौशल्या बेवा हरिकिशन जाति गुर्जर निवासी खानपुर तहसील खानपुर जिला झालावाड़ राज0
8. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर टी एक्ट
बाबत इन्द्राज दुरूश्ती एवं घोषणा

उपस्थिति :–
वादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन।
प्रतिवादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर प्रति. क्रम. 1 व 2
विद्वान अभिभाषक श्री दिग्विजय सिंह प्रति. क्रम. 3 व 4

निर्णय **दिनांक 21/04/2022**

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अर्न्तगत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल बानपुर तहसील अटरू जिला बारां में रंगलाल पुत्र टूण्डा व हरिकिशन पुत्र लाला जाति गुर्जर निवासी बानपुर तहसील अटरू जिला बारां के शामलाती खाते की आराजी पुराना ख0नं0 150 का रकबा 5 बिस्वा, ख0नं0 155 का रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा, ख0नं0 269 का रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, ख0नं0 449 का रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा, ख0नं0 451 का रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 5 का कुल रकबा 22 बीघा 2 बिस्वा आराजीयात स्थित थी जिसका बाद सेटलमेन्ट नवीन ख0नं0 255 का रकबा 0.34 है0, ख0नं0 440 का रकबा 0.06 है0, ख0नं0 671 का रकबा 0.40 है0, ख0नं0 687 का रकबा 0.05 है0, ख0नं0 686 का रकबा 1.98 है0, ख0नं0 325 का रकबा 0.70 है0 कुल किता 6 का कुल रकबा 3.53 है0 बनाया है। वाद पत्र के साथ नकल पुरानी जमाबन्दी, नकल नामान्तकरण, नकल नवीन जमाबन्दी नकल मिलान क्षेत्रफल पेश है जो काबिल गौर है।

वादीगण का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार से है:–

सजरा नं0 (1)

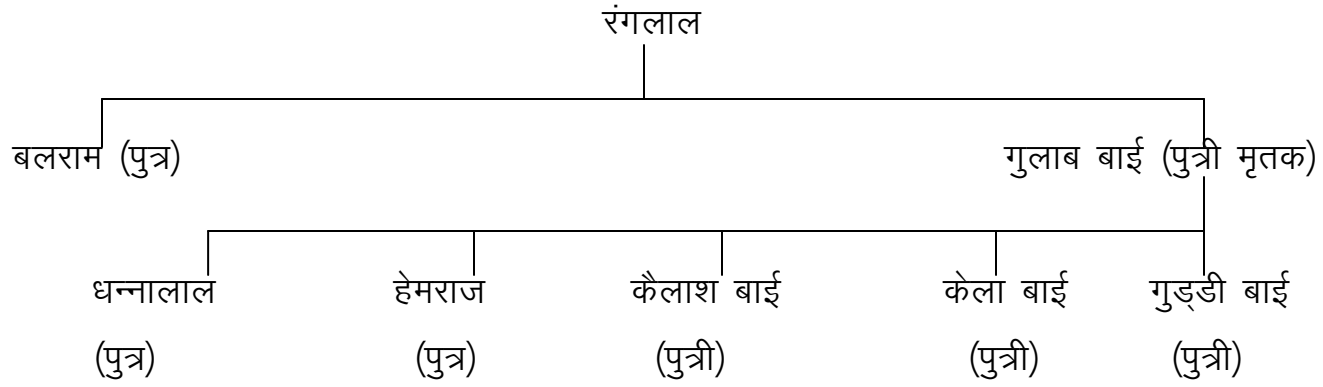

सजरा नं0 (2)

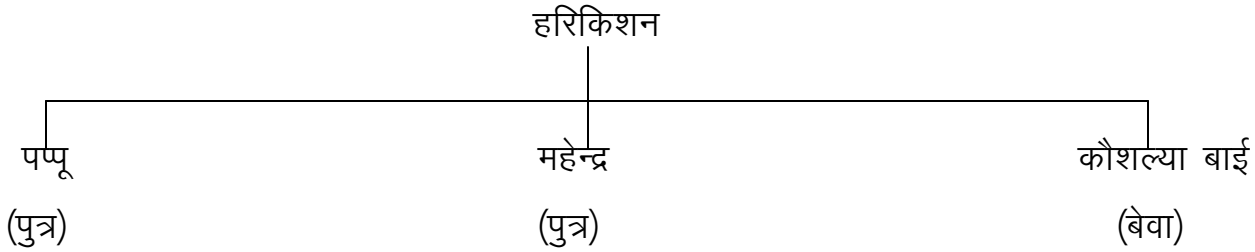

खातेदार रंगलाल का स्वर्गवास हो गया है उसके वारिसान पारिवारिक सजरे के मुताबिक वादीगण है जिनका वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजी में 1/2 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था। इसी तरह से हरिकिशन के वारिसान पप्पू , महेन्द्र पुत्रान तथा कौशल्या बाई बेवा है जिनका भी राजस्व रिकार्ड के मुताबिक 1/2 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था। खातेदार रंगलाल का स्वर्गवास होने के बाद राजस्व कर्मचारियों द्वारा रंगलाल का फौती नामान्तरण दर्ज करते समय रंगलाल के वारिसान का सजरा गलत बनाकर सजरे में लक्ष्मी बाई को पुत्री दर्ज करके नामान्तकरण संख्या 11 दिनांक 30.11.1977 का रंगलाल के वारिसान में बलराम पुत्र तथा गुलाब बाई पुत्री, लक्ष्मीबाई पुत्री का नाम दर्ज कर दिया जबकि रंगलाल के लक्ष्मी बाई की कोई पुत्री नहीं थी। इस तरह से नामान्तकरण संख्या 11 दिनांक 30.11.1977 को वादीगण दुरूस्त करवा कर वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजी में से लक्ष्मी बाई का गलत नाम दर्ज है को खाते में से हटवा पाने के अधिकारी है तथा रंगलाल के वारिसान के रूप में वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित सम्पूर्ण आराजी में 1/2 हिस्सा दर्ज करवा पाने के अधिकारी है तथा गुलाब बाई का भी स्वर्गवास हो गया है जिसके वारिसान वादी क्रम 2 ल 6 है। इसी तरह से हरिकिशन का 122 हिस्सा उसके वारिसान के नाम दर्ज किया जावे तथा जिस खातेदार ने जितना हिस्सा बेचान किया है उतना हिस्सा क्रेता के नाम सही दर्ज किया जावे। वादीगण तथा प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से की आराजीयात को शान्तिपूर्वक काश्त करते चले आ रहे थे, उनको नामान्तकरण संख्या 11 दिनांक 30.11.1977 में लक्ष्मी बाई का नाम दर्ज होने की कोई जानकारी नही थी लेकिन कुछ आराजी हरिकिशन के वारिसान को बेचान करनी थी तो उनके साथ में बलराम भी राजस्व रिकार्ड की नकल लेने आया और नकल प्राप्त करने पर दिनांक 09.03.2014 को राजस्व रिकार्ड में लक्ष्मी बाई का नाम गलत दर्ज तथा हिस्से गलत दर्ज होने की जानकारी हुई। उसके बाद में वादीगण द्वारा हल्का पटवारी से जानकारी लेने पर उसने न्यायालय में दावा पेश करके लक्ष्मी बाई का नाम खाते में से हटवाये जाने बाबत बताय। इस वजह से माननीय न्यायालय में दावा पेश किया

जा रहा है। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 09.03.2014 को राजस्व रिकार्ड की नकले प्राप्त करने पर तथा अन्तिम बार दिनांक 17.02.2016 को नोटिस की अवधि 2 माह समाप्त होने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी वाके ग्राम एवं माल बानपुर तहसील अटरू में स्थित होने की वजह से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार तथा श्रवणाधिकार प्राप्त है। वादीगण द्वारा अपने अभिभाषक के माध्यम से राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलेक्टर महोदय बारां को रजिस्टर्ड नोटिस अन्तर्गत धारा 80 सी0पी0सी0 मियादी 2 माह का प्रेषित करवा दिया है लेकिन प्रतिवादी क्रम 8 द्वारा नोटिस की अवधि समाप्त होने तक राजस्व रिकार्ड में कोई इन्द्राज नहीं करने पर नोटिस की अवधि दिनांक 17.02.2016 को समाप्त होने पर माननीय न्यायालय में यह वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश है। जेा माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद अवधि मध्य तथा उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश है। अतः वादीगण माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करते है कि निम्न आशय की डिक्री पारित की जावे किः–

(अ) इन्द्राज दुरूस्त करते हुये नामान्तकरण संख्या 11 दिनांक 30.11.1977 को दुरूस्त करते हुये राजस्व रिकार्ड में से लक्ष्मी बाई का नाम हटाया जाकर वादी क्रम 1 तथा वादी क्रम 2 ल 6 का पूर्व राजस्व रिकार्ड के मुताबिक सही हिस्सा दर्ज किया जावे। इसी तरह से हरिकिशन के वारिसान का भी राजस्व रिकार्ड में हिस्सा सही दर्ज किया जावे।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादीगण को प्रदान जावें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी क्रम 5 ल 7 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी क्रम 8 द्वारा जवाब दावा पेश नहीं करने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया। प्रतिवादी क्रम 1 व 2 द्वारा जवाब दावा पेश कर कथन किया गया कि वाद पत्र की मद नं0 1 में आराजी स्थित होना स्वीकार है। शेष विवरण अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 2 में सजरा जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 3 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 4 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है तथा कथन है कि प्रतिवादी क्रम 1

द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड बैनामा हिस्सा 1/2 तथा प्रतिवादीयाक्रम 2 द्वारा भी जरिये रजिस्टर्ड बैनामा हिस्सा 1/6 खरीद किया गया था जिसका अंकन खातेदारान के रूप में राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज है। नकल जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 खसरा गिरदावरी संवत 2072 एवं नक्शा ट्रेस ख0नं0 686 की प्रति साथ में संलग्न है। वाद पत्र की मद नं0 5 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 6 अस्वीकार है। वाद अवधि मध्य पेश नहीं होने से खारिज फरमाया जावे। वाद पत्र की मद नं0 7 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 8 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 9 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 10 अस्वीकार है। अनुतोष वादीगण अस्वीकार है। अतः माननीय न्यायालय में प्रतिवादी क्रम 1 व 2 की ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद मय हर्जा खारिज फरमाने की कृपा करें। प्रतिवादी क्रम 3 व 4 द्वारा आदेश 9 नियम 7 का प्रार्थना पत्र पेश किया जो स्वीकार किया गया। प्रतिवादी क्रम 3 व 4 द्वारा इकबाली जवाब दावा पेश कर कथन किया गया कि वाद पत्र की मद नं0 1 स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 2 स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 3 स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 4 स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 5 भी स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 6 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 7 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 8 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 9 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 10 कानूनी है। वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष स्वीकार है।

विशेष कथन

वादीगण के खाते की आराजी एवं हम प्रतिवादीगण के खाते की आराजीयात एक ही माल बानपुर मे स्थित है और वादीगण आराजीयात को काश्त करने के लिये आते जाते रहते है। खेती करने आते है तो ये लोग हमारे यहां भी रूकते है। इस वजह से हम इनके पूरे परिवार को जानते है। इनके परिवार में लक्ष्मी बाई पुत्री नहीं है बल्कि एक ही पुत्री गुलाब बाई लक्ष्मी है। अतः माननीय न्यायालय में इकबाली जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद डिक्री करते हुये लक्ष्मी बाई का नाम खाते में से हटाये जाने के आदेश प्रदान करें।

3. दावे व जवाब दावे के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई–

तनकी नं0 1– आया रंगलाल के लक्ष्मीबाई नाम की पुत्री नहीं थी इस वजह से वादीगण नामान्तरण संख्या 11 दिनांक 30.11.1977 दुरूस्त करवाकर वाद पत्र में दर्ज लक्ष्मीबाई का नाम खाते में से हटापाने के अधिकारी है।

(वादीगण)

तनकी नं0 2– आया वाद पत्र के मद नं0 1 में दर्ज आराजी में 1/2 हिस्सा वादी क्रम 1 बलराम तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी क्रम 2 ता 6 अपने नाम दर्ज करा पाने के अधिकारी है पूर्व राजस्व रिकार्ड के मुताबिक

(वादीगण)

तनकी नं0 3– आया प्रतिवादीगण का जवाबदावा एवं इकबाली जवाबदावा का वाद पर क्या असर है।

(प्रतिवादीगण)

4. साक्ष्यवादी के तहत pw1 बलराम पुत्र रंगलाल जाति गुर्जर निवासी बपावर तहसील सांगोद जिला कोटा का शपथ पत्र पेश किया गया तथा शपथ ब्यान लेखबद्ध किये गये। साक्ष्यवादी द्वारा अपने शपथ ब्यानों मे बताया कि मेरे पिताजी का नाम रंगलाल था जिनका स्वर्गवास हो चुका है जिनके मै बलराम तथा गलाब बाई वारिस है। हमारे कोई लक्ष्मी बाई नाम की बहिन नहीं थी लेकिन मेरे पिता रंगलाल का फौती नामान्तकरण तस्दीक करते समय सहवन से नामान्तकरण संख्या 11 दिनांक 30.11.1977 को रंगलाल के वारिसान में मुझे बलराम, गुलाब बाई तथा लक्ष्मीबाई का नाम दर्ज कर दिया गया। नामान्तकरण संख्या 11 दिनांक 30.11.1977 को दुरूस्त करवाकर वाद पत्र के मदनं0 1 में वर्णित आराजी में 1/2 हिस्सा मेरे तथा गुलाब बाई के वारिसान के नाम दर्ज किया जावे। इस वजह से खोला गया नामान्तकरण संख्या 11 दिनांक 30.11.1977 अवैधानिक एवं गैर कानूनी होने की वजह से खारिज किया जाकर वाद पत्र में चाहे गये अनुतोष के मुताबिक वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे तथा लक्ष्मी बाई का नाम खाते में से खारिज फरमाया जावे। pw2 धन्नालाल पुत्र जगन्नाथ जाति गुर्जर निवासी कदीली तहसील किशनगंज द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया और बयान लेखबद्ध किये गये। साक्ष्यवादी द्वारा अपने शपथ बयानों में बताया कि रंगलाल जी मेरे नानाजी थे। उनके एक बलराम जी तथा दूसरी मेरी मम्मी गुलाब बाई थी। लक्ष्मी बाई नाम की मौसी नहीं थी अर्थात मेरे नाना रंगलाल के लक्ष्मीबाई नाम की कोई पुत्री नहीं थी लेकिन मेरे नाना रंगलाल का फौती नामान्तकरण तस्दीक करते समय सहवन से दिनांक 30.11.1977 को नामान्तकरण संख्या 11 में लक्ष्मी बाई का नाम गलत दर्ज हो गया। राजस्व रिकार्ड में से लक्ष्मी बाई का नाम हटाया जावे तथा वाद पत्र की मद नं0 1 मे वर्णित रंगलाल के हिस्से की 1/2 आराजी में बलराम तथा मृतक गुलाब बाई के वारिसान हम वादी क्रम 2 ल 6 के नाम दर्ज किया जावे।

5. अभिभाषक वादीगण एवं अभिभाषक प्रतिवादीगण की बहस सुनी। पेश पत्रावली का अवलोकन एवं मनन किया गया। प्रकरण का तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार किया जाता है–

तनकी नं0 1– आया रंगलाल के लक्ष्मीबाई नाम की पुत्री नहीं थी इस वजह से वादीगण नामान्तरण संख्या 11 दिनांक 30.11.1977 दुरूस्त करवाकर वाद पत्र में दर्ज लक्ष्मीबाई का नाम खाते में से हटापाने के अधिकारी है। इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत ग्राम बानपुर की जमाबन्दी संवत 2031 से 2034 के खाता संख्या 66 किता 5 रकबा 22 बीघा 2 बिस्वा रंगलाल पुत्र टुन्डा हिस्सा 1/2 व हरकिशन पुत्र लाला जाति गूजर हिस्सा 1/2 के खाते दर्ज थी। खातेदार रंगलाल पुत्र टुन्डा जाति गुजर हिस्सा 1/2 की मृत्यु के बाद ग्राम पंचायत द्वारा फौती इंतकाल संख्या 11 दिनांक 30.11.1977 (प्रदर्श 5) तस्दीक किया गया। ग्राम बानपुर की नामान्तरण पंजिका के नामान्तरण संख्या 11 के अवलोकन से स्पष्ट है कि मृतक खातेदार रंगलाल पुत्र टुन्डा का फौती इंतकाल तस्दीक करते समय 3 वारीसान – बलराम पुत्र, लक्ष्मी पुत्री व गुलाब पुत्री– स्वीकार किये गये। ग्राम पंचायत खरखडा रामलोथान के वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 20.12. 2014 (प्रदर्श 3) अनुसार भी रंगलाल के गुलाब बाई नाम की पुत्री है और लक्ष्मी नाम की कोई दूसरी पुत्री नहीं थी । ग्राम पंचायत खरखडा रामलोथान द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 24.06.2016 के अनुसार भी मृतक खातेदार रंगलाल पुत्र टुन्डा निवासी बानपुर हाल मुकाम बपावर तहसील सांगोद का देहावसान करीब 40 वर्ष पूर्व होना और उनके दो वारिसान –बलराम पुत्र व गुलाब बाई पुत्री बताया गया है। प्रमाण पत्र में मृतक खातेदार रंगलाल के लक्ष्मीबाई नाम की कोई लडकी नहीं होना प्रमाणित किया गया है। प्रतिवादी कम 3 व 4 ने भी अपने इकबाली जवाब में मृतक खातेदार रंगलाल जी के लक्ष्मी नाम की कोई पुत्री नही होना और केवल एक पुत्री गुलाब बाई होना स्वीकार किया है। साक्ष्यवादी pw1 बलराम पुत्र रंगलाल द्वारा अपने शपथ बयानों में बताया कि उनके लक्ष्मी नाम की कोई बहिन नहीं थी। इसी प्रकार साक्ष्यवादी pw2 धन्नालाल पुत्र जगन्नाथ जाति गुर्जर निवासी कदीली तहसील किशनगंज द्वारा अपने शपथ बयानों में बताया कि मेरे नाना के एक मात्र पुत्री मेरी मां गुलाब बाई थी और लक्ष्मी नाम की मेरे कोई मौसी नहीं नहीं थी। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर मृतक खातेदार रंगलाल पुत्र टुन्डा जाति गुर्जर के 2 वारिसान – बलराम पुत्र एवं गुलाब बाई पुत्र होना और लक्ष्मी नाम की कोई भी पुत्री नहीं होना साबित होता है। अतः तनकी नं0 1 वादीगण के पक्ष में निर्णत की जाती है।

तनकी नं0 2– आया वाद पत्र के मद नं0 1 में दर्ज आराजी में 1/2 हिस्सा वादी कम 1 बलराम तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी कम 2 ता 6 अपने नाम दर्ज करा पाने के अधिकारी है पूर्व राजस्व रिकार्ड के मुताबिक इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। ग्राम बानपुर की जमाबन्दी

संवत 2031 से 2034 एवं नामान्तरण पंजिका दिनांक 30.11.1977 के आधार पर स्पष्ट है कि ग्राम बानपुर का साबिक ख0नं0 150 का रकबा 5 बिस्वा, ख0नं0 155 का रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा, ख0नं0 269 का रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, ख0नं0 449 का रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा, ख0नं0 451 का रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 5 का कुल रकबा 22 बीघा 2 बिस्वा आराजीयात मृतक खातेदार रंगलाल पुत्र टुन्डा हिस्सा 1/2 व हरकिशन पुत्र लाला जाति गूजर हिस्सा 1/2 के खाते दर्ज थी। खातेदार रंगलाल पुत्र टुन्डा की मृत्यु के बाद उनके हिस्से की 1/2 भाग आराजीयात तनकी नं0 1 के निर्णय अनुसार वादी क्रम 1 व वादी क्रम 2 के 1/4–1/4 हिस्सा दर्ज रिकार्ड होना चाहिए था लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरूद्ध इंतकाल तस्दीक कर 1/6–1/6 हिस्सा दर्ज कर दिया। अतः वाद पत्र के मद क्रम 1 में वर्णित आराजी मे से मृतक खातेदार रंगलाल के 1/2 भाग में से 1/4 भाग वादी क्रम 1 और 1/4 भाग मृतक गुलाब बाई के वारिसान वादी क्रम 2 ता 6 अपने खाते दर्ज करवाने का हकदार है। खातेदार हरिकिशन पुत्र लाला जाति गुजर के हिस्से दर्ज शेष 1/2 भाग जमाबन्दी संवत 2067 से 2070 प्रदर्श 8 व प्रदर्श 9, जमाबन्दी संवत 2071 से 2075 व रजिस्टर्ड विक्रय पत्र डोक्यूमेन्ट नं0 2012001632 दिनांक 09.05.2012 आदि के अनुसार सदभावी क्रेताओं के खाते दर्ज रहेगा। प्रतिवादी क्रम 1, 3 व 4 द्वारा वादी क्रम 1 व प्रतिवादी क्रम 5 ता 7 से भूमि क्रय किये जाने का कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है अतः तनकी नं0 2 वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 3– आया प्रतिवादीगण का जवाबदावा एवं इकबाली जवाबदावा का वाद पर क्या असर है? इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य, जवाब व बहस पेश नहीं की है अतः तनकी नं0 3 खारिज की जाती है।

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण तथा पेश रिकार्ड व साक्ष्य के आधार पर वादीगण का वाद आंशिकतः स्वीकार योग्य है।

–ःक्रियात्मक आदेशः–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0 आंशिक रूप से स्वीकार कर ग्राम बानपुर के नामान्तरण संख्या 11 दिनांक 30.11.1977 को खारिज किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल बानपुर तहसील अटरू जिला बारां ख0नं0 255 का रकबा 0.34 है0, ख0नं0 440 का रकबा 0.06 है0, ख0नं0 671 का रकबा 0.40 है0, ख0नं0 687 का रकबा 0.05 है0, ख0नं0 686 का रकबा 1.98 है0 व ख0नं0 325 का रकबा 0.70 है0 कुल किता 6 का कुल रकबा 3.53 है0 आराजी से सहखातेदार लक्ष्मी पुत्री रंगलाल हिस्सा 1/6 का नाम हटाकर

उसकी जगह वादी क्रम 1 व 2 को 1/12–1/12 हिस्से पर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक **21.04.2022** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

प्राथमिक डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (**R.A.S.**) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)
प्रकरण सं0 26/2016

उनवान

1. बलराम उम्र 70 वर्ष पुत्र रंगलाल जाति गुर्जर निवासी बपावर तहसील सांगोद जिला कोटा राज0।
2. धन्नालाल उम्र 38 वर्ष पुत्र जगन्नाथ जाति गुर्जर
3. हेमराज उम्र 34 वर्ष पुत्र जगन्नाथ जाति गुर्जर
4. कैलाश बाई उम्र 42 वर्ष पुत्री जगन्नाथ पत्नि भंवरलाल जाति गुर्जर
5. कैला बाई उम्र 31 वर्ष पुत्री जगन्नाथ पतिन रामकरण जाति गुर्जर निवासीगण कदीली तहसील किशनगंज जिला बारां राज0।
6. गुड्डी बाई उम्र 27 वर्ष पुत्री जगन्नाि पत्नि भोलाराम जाति गुर्जर निवासी श्यामपुरा तहसील बारां जिला बारां (राज0)।

वादीगण

बनाम

1. राजबाई उम्र 40 वर्ष पत्नि लक्ष्मीचन्द जाति मीणा निवासी बाणगंगा
2. सन्तोष बाई उम्र 35 वर्ष पत्नि महेन्द्र सिंह जाति मीणा निवासी बाणगंगा तहसील अटरू जिला बारां राज0
3. मांगी बाई उम्र 45 वर्ष पत्नि बाबूलाल जाति माली निवासी बानपुर
4. हेमा बाई उम्र 35 वर्ष पत्नि रामकरण जाति माली निवासी बानपुर तहसील अटरू जिला बारां राज0
5. पप्पू उम्र 30 वर्ष पुत्र हरिकिशन जाति गुर्जर निवासी खानपुर
6. महेन्द्र उम्र 26 वर्ष पुत्र हरिकिशन जाति गुर्जर निवासी खानपुर
7. कौशल्या बेवा हरिकिशन जाति गुर्जर निवासी खानपुर तहसील खानपुर जिला झालावाड़ राज0
8. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर टी एक्ट
बाबत इन्द्राज दुरूश्ती एवं घोषणा

बहाजिर :–
वादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन।
प्रतिवादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर प्रति. क्रम. 1 व 2
विद्वान अभिभाषक श्री दिग्विजय सिंह प्रति. क्रम. 3 व 4
मिनजानित मुदई रूबरू .....**X**.....
मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम बानपुर के नामान्तरण संख्या 11 दिनांक 30.11.1977 को खारिज किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल बानपुर तहसील अटरू जिला बारां ख0नं0

255 का रकबा 0.34 है0, ख0नं0 440 का रकबा 0.06 है0, ख0नं0 671 का रकबा 0.40 है0, ख0नं0 687 का रकबा 0.05 है0, ख0नं0 686 का रकबा 1.98 है0 व ख0नं0 325 का रकबा 0.70 है0 कुल किता 6 का कुल रकबा 3.53 है0 आराजी से सहखातेदार लक्ष्मी पुत्री रंगलाल हिस्सा 1/6 का नाम हटाकर उसकी जगह वादी क्रम 1 व 2 को 1/12–1/12 हिस्से पर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X..... ..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 21.04.2022 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)